पहुंच जाती है बमुकाबिले दिल्ली के सरकारी मुहकमों और विभागों के। हमने मिनिस्ट्रीज़ से पूछा है और जब उनका जवाब आयेगा तब हम आपके सामने रखेंगे।

श्री नवाब सिंह चौहान : ये जो किताबें (लौग बुक्स) होती हैं, उनकी जांच पड़ताल करने पर जो गैर कानूनी चीज़ें मिली हैं, जैसा कि विवरण में बताया गया है, उनको रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री लाल बहादुर : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि अब कोई पहले की तरह का सेंट्रल पूल नहीं है जिससे कि सारी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के ऊपर हो। इसलिये इस तरह की जो शिकायतें हैं उनकी तरफ अब हमने मिनिस्ट्रीज का ध्यान आकर्षित कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा वे गलतियां नहीं होंगी।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या इन गलतियों को दूर कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के ऊपर नहीं रही है और हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर हो गई है ?

श्री ओ० वी० अलगेसन : जी हां।

डा० रघुबीर सिंह : ये जो लौग बुक्स में कोई इंट्रीज़ होंगी उनके बारे में और जो कोई अवैधानिक कार्यवाही इसके बारे में हुई है उनके बारे में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लाल बहादुर: असल में अब सवाल आगे के लिये होता है कि आगे ऐसी गलतियां न हों और उनको रोकने के लिये मिनिस्ट्रीज़ ने जिन्होंने कि अपनी लौग बुक्स भेजीं उनकी हमने जांच पड़ताल की और उसमें ये गलतियां दिखलाई पड़ीं। अब हमें आशा है कि मिनिस्ट्रीज़ आगे इस बात पर ध्यान रखेंगी और ऐसी भूलें नहीं होंगी।

डा० रघुबीर सिंह : मेरा मतलब यह था कि जो गलतियां की गई हैं उनके बारे में अगर एक आध मर्तबा भी उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर फिक्स अप कर दी जाती तो उससे भी काफी ज्यादा लाभ होता। लौग बुक्स के बारे में जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होनी है जो कि लौग बुक के ऊपर ड्यूटी खत्म होने के बाद हस्ताक्षर करता है। उससे यह तो मालूम हो ही सकता है कि किस व्यक्ति के कारण से यह गलती हुई है ?

श्री लाल बहादुर : जी हा, यह तो हो सकता है लेकिन यह ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को तो करना नहीं है। मिनिस्ट्रीज़, जिनको इससे मतलब है वह इसको करेंगी पर उन्हें बहुत पहले की बातों में जाना पड़ेगा और उनको इसकी अच्छी तरह से जांच करनी पड़ेगी। माननीय सदस्य अगर चाहें तो हम मिनिस्ट्रीज़ का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर देंगे, उनको आपकी राय बतला देंगे कि पार्लियामेंट की ऐसी राय है। अगर मिनिस्ट्रीज़ ऐसा करना मुनासिब समझेंगी तो करेंगी।

डा० रघुबीर सिंह : मेरा यह मतलब नहीं था कि सब की जांच या सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाय, एक आध मर्तबा ऐसा किया जाय।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go to the next question.

यात्रा तथा शिकार एजेंट

*११५. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **परिवहन** मंत्री परिवहन मंत्रालय की १९५५-५६ की रिपोर्ट के पृष्ठ ३९ पर पैरा ८३ को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ के वर्षों में सरकार ने कितने (१) यात्रा एजेंटों को तथा (२) शिकार एजेंटों को मान्यता दी ;

(ख) उन्हें मान्यता देने के नियमों में क्या परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) क्या इन एजेंटों से मान्यता के लिये कोई फीस ली जाती है ?

†[TRAVEL AND SHIKAR AGENTS

*115. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for TRANSPORT be pleased to refer to paragraph 83 on page 39 of the Report of the Ministry of Transport for 1955-56 and state:

(a) the number of (i) travel agents and (ii) shikar agents recognised by Government during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55;

(b) what are the changes made in the rules for their recognition; and

(c) whether these agents are charged any fee for their recognition?]

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

(क)	मान्य यात्रा एजेंटों की संख्या	मान्य शिकार एजेंटों की संख्या
१९५२–५३	२	..
१९५३–५४	५	..
१९५४–५५	..	..
कुल	७	..

(ख) यात्रा ऐजेंटों की मान्यता के नियमों के बारे में कुछ परिवर्तन किये गये हैं । मुख्य परिवर्तन ये हैं : (१) रेल सम्बन्धित प्रशासन के पक्ष में एक समझौते का कार्यान्वित किया जाना (२) सरकार को यह आरक्षण अधिकार है कि वह इनको दी हुई मान्यता को बिना किसी कारण किसी समय भी रद्द कर सकती है या वापिस ले सकती है (३) मान्यता के लिये प्रार्थना पत्रों को साल भर में एक बार सिर्फ नवम्बर के ही महीने में प्रस्तुत किया जाय । शिकार एजेंटों की मान्यता के विषय में जो नियम पहले पहल १९५४ में बनाये गये थे, उनमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

†[THE DEPUTY MINISTER FOR RAILWAYS AND TRANSPORT (SHRI O. V. ALAGESAN): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) No.

STATEMENT

(a)	No. of Travel Agents recognised	No. of Shikar Agents recognised
1952-53	2	..
1953-54	5	.
1954-55	..	..
TOTAL	7	..

(b) Changes have been effected in the rules relating to the recognition of travel agents. The main changes are (i) execution of an agreement in favour of the Railway Administration concerned, (ii) reservation to Government of the right to cancel or withdraw at any time the recognition already granted without assigning any reasons therefor and (iii) submission of applications for recognition once a year in the month of November only. The rules for the recognition of Shikar Agents which were framed for the first time in 1954 have not so far been changed.]

श्री नवाब सिंह चौहान : ये ट्रेवेल एजेंट और शिकार एजेंट क्या किसी खास स्थान पर किन्हीं खास क्षेत्रों के लिये ही नियुक्त किये

†English translation.

जाते हैं अथवा इनकी नियुक्ति भारत भर के लिये कहीं भी हो सकती है ?

श्री ओ० वी० अलगेसन : इनका सम्बन्ध एक खास क्षेत्र के साथ होता है ।

श्री नवाब सिंह चौहान : किन किन क्षेत्रों के लिये इनकी नियुक्ति स्वीकृत है और किन किन क्षेत्रों में वास्तव में नियुक्ति हो गई है ?

श्री ओ० वी० अलगेसन : बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बनारस ।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या बनारस में भी शिकार एजेंट मुकर्रर किये गये हैं ?

श्री ओ० वी० अलगेसन : जी हां । I am referring to travel agents only.

श्री नवाब सिंह चौहान : ट्रेवेल एजेंट और शिकार एजेंट दोनों के बारे में मैंने प्रश्न किया था ।

श्री लाल बहादुर : शिकार एजेंट तो जंगलों के लिये होते है ।

श्री **नवाब सिंह चौहान** : क्या कारण है कि गवनमेंट ने शिकार खेलाने के प्रश्न को अपने ऊपर लिया है ? एक तरफ तो शिकार बन्द कराया जाता है, दूसरी ओर यह व्यवस्था की जाती है । इसके अलावा जब बहुत से शिकार एजेंट निजी तौर पर हैं ही तो इनकी क्या जरूरत है ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jaswant Singh.

श्री नवाब सिंह चौहान : मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are no recognised Shikar Agents.

SHRI JASWANT SINGH: May I ask a question, Sir? May I know what are the duties of the Shikar Agents?

SHRI O. V. ALAGESAN: To provide for hunting of game in the various forests. The foreign tourists would like to go hunting in our forests and these Shikar Agents provide the necessary services.

SHRI JASWANT SINGH: Are they also responsible for the safety of the sportsmen as the White hunters in Africa? Are these Shikar Agents also responsible for the safety of the sportsmen as is generally done in Africa by the White hunters?

SHRI O. V. ALAGESAN: Naturally they would take good care of the party they escort; otherwise, they will lose their custom.

SHRI JASWANT SINGH: Do the Shikar Agents have experience of shooting either by guns or rifle?

SHRI O. V. ALAGESAN: Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Government has no Shikar Agents according to the statement.

SHRI O. V. ALAGESAN: These are all recognised Shikar Agents.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have not recognised according to the list you have given.

SHRI O. V. ALAGESAN: Later on there are some, but none relating to the years that are mentioned in the statement.

مولانا ایم - فاروقی : کیا آنریبل منسٹر یہ مہربانی کرکے بتائینگے کہ یہ جو شکار ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو کیا ایسی بھی ہدایتیں ہیں کہ جو لوگ شکار کھیلنے جائیں ان کی شکار کھیلنے میں کچھ مدد کریں ؟

†[**मौलाना एम० फारूकी** : क्या आनरेबिल मिनिस्टर यह मेहरबानी करके बतायेंगे कि ये जो शिकार एजेंट होते है उनको क्या ऐसी भी हिदायतें हैं कि जो लोग शिकार खेलने जायें उनकी शिकार खेलने में कुछ मदद करे ?]

श्री लाल बहादुर : मदद क्या करेंगे, समझा नहीं, शिकार कराने में कि शेर मारा जाय ? क्या आपका मतलब है ?

مولانا ایم - فاروقی : شکار کرنے میں اس کے انتظام کے سلسلہ میں -

†[**मौलाना एम० फारूकी** : शिकार करने में उसके इंतजाम के सिलसिले में ?)

श्री लाल बहादुर : जी हां, वह तो करते ही हैं ।

डा० रघुबीर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि शिकार एजेंट्स के सेलेक्शन में, जैसा कि दूसरे मेम्बर साहब ने पूछा था : Are they expected to be really good shots? वे अच्छे शिकारी भी है या वे सिर्फ इंतजाम करते हैं ?

SHRI O. V. ALAGESAN: If the hon. Member is interested, he can accompany them in one of their parties.

DR. RAGHUBIR SINH: I can look after myself.

श्री नवाब सिंह चौहान : शिकार एजेंटों को इस मान्यता को देने के पहले से ही क्या शिकार एजेंट चले आ रहे हैं या आपकी इस सरकार ने ही इसको पहले पहल जारी किया है ?

श्री लाल बहादुर : पहले से ही है ।

SHRI O. V. ALAGESAN: There were some Shikar Agents even before 1954. Certain rules were framed in this regard in the year 1954. Applications were invited and five have been recognised.

SHRI B. K. MUKERJEE: May I know what is the procedure adopted by the hon. Deputy Minister to choose these Shikar Agents for recognition?

SHRI O. V. ALAGESAN: There are rules framed in this regard.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question.

देहातों में सहकारी ढंग पर सड़कों के विकास की योजना

*११६. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहातों में सहकारी ढंग पर सड़कों के विकास की योजना के अधीन सरकार अब तक सड़कों के विकास की कितनी योजनायें स्वीकार कर चुकी है ;

(ख) योजना के अधीन राज्य सरकारों के लिये भारत सरकार अब तक कुल कितनी राशि (१) स्वीकार कर चुकी है तथा (२) दे चुकी है ; और

(ग) क्या सरकार को योजना-कार्यों की प्रगति के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†[VILLAGE ROAD DEVELOPMENT CO-OPERATIVE SCHEME

*116. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister for TRANSPORT be pleased to state:

(a) the number of schemes of road development so far approved by Government under the Village Road Development Co-operative Scheme;

(b) the total amount of money so far (i) sanctioned and (ii) paid by the Government of India to the State Governments under the Scheme; and

(c) whether Government have received any reports on the progress in the execution of the works under the Scheme?]

†Hindi transliteration.

†English translation.